न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 111/2017–18

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

फेरको मुण्डा वो लक्षुमन मुण्डा – विक्रेता

सुनील संगा – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
12.07.18	**आदेश** आवेदक 1. फेरको मुण्डा वो 2. लक्षुमन मुण्डा पिता स्व0 सामु मुण्डा ग्राम जियारप्पा, थाना खूँटी, जिला खूँटी, जाति मुण्डा ने सुनील संगा पिता जोन संगा ग्राम बिरहू बड़का टोली, थाना खूँटी, जिला खूँटी, जाति मुण्डा के साथ निम्नलिखित भूमि के वि क्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।	

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
जियारप्पा	227	63	1981	0.12

आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र, खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0673762 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 598 दिनांक 19.07.17 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम बुधु मुण्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार डहरू मुण्डा वगैरह के नाम रकवा 12.76½ एकड़ भूमि है। आवेदक के पास रकवा 6.38 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2016–17 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 18428.00(अठारह हजार चार सौ अठाईस)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के वि क्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि वि क्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 6.26 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रे ता एवं वि क्रे ता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु वि क्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदक क्रे ता–वि क्रे ता को भूमि क्रय–वि क्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण 1. फेरको मुण्डा वो 2. लक्षुमन मुण्डा पिता स्व0 सामु मुण्डा को सुनील संगा पिता जोन संगा के साथ ग्राम जियारप्पा के खाता सं0 63 खेसरा संख्या 1981 का रकबा 0.12 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 18428.00(अठारह हजार चार सौ अठाईस)रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमे वि क्रय की अनुमति दी जाती है।

12/07/18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

12/07/18

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।